न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 21/2005 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

गोपालीराम पुत्र हरभजन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मैनापुरा तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
1/1. मु0लच्छो वेवा गोपालीराम
1/2. पप्पू
1/3. राजेश
1/4. हरिओम
1/5. श्रीमती कमलेश पुत्री गोपालीराम
} जाति ब्राहम्ण निवासी, ग्राम मैनापुरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मदनलाल उर्फ मगन पुत्र हरभजन जाति ब्राहम्ण निवासी मैनापुरा तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/1. ढक्को पुत्री मदनलाल पत्नी तेजपाल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर चौहर का मन्दिर के पास तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/2. चन्दना पुत्री मदनलाल पत्नी रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी मेहतोली तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. सुदामा पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मैनापुरा तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार वैर

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 21.01.2004 मि.नं. 193/98 उनवानी गोपालीराम बनाम मदनलाल।

उपस्थित :–
1. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री पंकज कुमार अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 07.11.2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 30, 170 वाके ग्राम खेडली ब्राहम्ण तहसील वैर, पैत्रिक आराजी है, जिसमें अपीलाण्ट/वादी 1/3 हिस्से का रैस्पो0/प्रतिवादीगण मदनलाल व मांगी वहिस्सा बराबर 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे हैं। पैत्रिक आराजी खसरा नम्बर 30, 170 की संयुक्त आय से खसरा नम्बर 225, 227 अपीलाण्ट/वादी व अपीलाण्ट/वादी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भाई मांगी व मदन ने संयुक्त रूप से क्रय की गई थी। इस प्रकार अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के भाई मांगी व मदन द्वारा समस्त आराजी को शामलालत रूप से काश्त किया जाता रहा है। किन्तु मांगी व मदन ने तथाकथित विक्रय पत्र में अपीलाण्ट/वादी का नाम चालाकी से, अपीलाण्ट/वादी के विधिक अधिकारों से महरूम करने की नियत से छोड दिया। इसी दौरान अपीलाण्ट/वादी के भाई मांगी जो लाबल्द औरत फौत हुआ की, ओर से रैस्पो0/प्रतिवादी सुदामा पुत्र मदनलाल ने तथाकथित वसीयतनाम तैयार कर चुपके चुपके करा लिया। अतः वाद दायर कर समस्त विवादित आराजी में अपने निष्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या एक का निर्णय विरूद्ध अपीलाण्ट तय करने की आज्ञा देने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तनकी के माध्यम से अपीलाण्ट व रैस्पो0 के अधिकारों को तय किया जाना था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में, खसरा नम्बर 30, 170 तो पैत्रिक माने हैं, किन्तु खसरा नम्बर 225, 227 को पैत्रिक ना मानकर स्वअर्जित होना मानने की फाइण्डिंग देने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पास पैत्रिक आराजी के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं था जिसके आधार पर स्वःअर्जित होना माना जा सकें और पैत्रिक आराजी अपीलाण्ट व रैस्पो0 द्वारा शामलात काश्त की जा रही थी, जिसका आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अतः कानून की यह अवधारणा बनती है जो आराजी क्रय की गई वह पैत्रिक आराजी की संयुक्त आय से क्रय की गई थी, जिसमें अपीलाण्ट का भी हित है और संयुक्त आराजी का बिना विभाजन कराये वसीयत कानूनी रूप से शून्य श्रेणी की परिधि में आती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि तनकी संख्या 02 लगायत 4 का निर्णय नोनस्पीकिंग इकजाई करने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है, जबकि प्रत्येक तनकी का निर्णय पृथक–पृथक करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की साक्ष्य पर भरोसा ना करने में त्रुटि की है जबकि अपीलाण्ट का केस बखूबी प्रमाणित था। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। खसरा नम्बर 225, 227 रैस्पो0 मदनलाल व मांगीलाल की स्वः अजित सम्पत्ति है, जो दिनांक 30.05.1966 को मुबलिक 3500 रूपये में वाहिस्सा बराबर खरीद किया था। शेष खसरा नम्बर पैत्रिक हैं, मृतक मांगीलाल ने अपने हिस्से की वसीयत दिनांक 03.07.1995 को रैस्पो0 संख्या 02 सुदामा के हम में करा दी थी एवं तभी से रैस्पो0 काबिज चला आ रहा है। जिस पर अपीलाण्ट का कोई हिस्सा एवं कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादी, विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति बताते हुए, शामलात रूप से काश्त करते हुए, उसकी संयुक्त आय से विवादित आराजी खसरा संख्या 225, 227 क्रय किये जाने एवं समस्त विवादित आराजी पर स्वयं को 1/2 हिस्से की घोषणा का दावा करता हैं। रैस्पो0/प्रतिवादी

Web Copy Not Official

उक्त तथ्य का खण्डन करते हुए, विवादित आराजी को स्वःअर्जित सम्पत्ति बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावें को तय करने हेतु अनुतोष सहित 9 तनकियॉ कायम की गई हैं। इनमें तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण हैं, शेष तनकियों के निर्णय तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होते हैं। तनकी संख्या 01 की समीक्षा में हम पाते हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने अपने कथन कि विवादित आराजी, पैत्रिक सम्पत्ति की संयुक्त आय से क्रय की गई है बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2052–55 में खसरा नम्बर 225, 227 पर मंगती व मदनलाल के इन्द्राज होने एवं प्रदर्श ए–1 वसीयत दिनांक 03.07.1995 से मांगीलाल द्वारा सुदामा के हक में वसीयत के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी स्वःअर्जित सम्पत्ति ना होकर, पैत्रिक सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, उचित ही दावा खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करने योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पातें हैं। उपरोक्त विवेचानुसार, अपीलाधीन निर्णय तनकीवार एवं तार्किक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2004 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official